

भारत सरकार  
कारपोरेट कार्य मंत्रालय  
आदेश

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 2015

का.आ. (अ.) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) को 29 अगस्त, 2013 को राष्ट्रपति की सम्मति प्राप्त हुई थी;

और उक्त अधिनियम की धारा 2 का खंड (85) "लघु कंपनी" के निबंधन की परिभाषा करता है;

और उक्त अधिनियम की धारा 186 की उपधारा (11) का खंड (ख), यह उपबंध करता है कि धारा 186 के उपबंधों की अपेक्षाएं [उक्त धारा की उपधारा (1) के सिवाय] भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) के अध्याय-3ख के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी और किसी अन्य कंपनी, जिसका मूल कारोबार प्रतिभूतियों का अर्जन है, द्वारा किए गए किसी अधिग्रहण पर लागू नहीं होगा;

और उक्त अधिनियम की धारा 2 के खंड (85) और धारा 186 के उक्त उपबंध 1 अप्रैल, 2014 से प्रवृत्त हो गए थे;

और उक्त अधिनियम के पूर्वोक्त उपबंधों को प्रभावी करने में निम्नलिखित कठिनाइयां उत्पन्न हुई हैं -

(क) धारा 2 के खंड (85) के अनुसार, कोई कंपनी 'लघु कंपनी' मानी जा सकेगी, यदि वह उसमें अनुबंधित शर्तों में से किसी एक शर्त को पूरा करती है जिससे दूसरी सीमा प्रतिबंधित या अप्रमाणिक बन जाती है। इस संबंध में कठिनाइयां उत्पन्न हो गई हैं चूंकि कंपनियां यद्यपि जो किसी एक मानदंड को पूरा करती हैं किंतु दूसरे मानदंड की बाबत धनीय सीमा से अधिक हो जाती हैं, भी 'लघु कंपनी' के रूप में वर्गीकृत की जाती हैं; और

(ख) धारा 186 की उपधारा (11) के खंड (ख) में किसी बैंककारी कंपनी अथवा बीमा कंपनी अथवा आवास वित्त कंपनी को अपने कारोबार के साधारण क्रम में प्रतिभूति अर्जन करने से छूट देने का उपबंध न होने के कारण यह कठिनाई उत्पन्न हुई है कि इस प्रकार की कंपनियां अपने कारोबार के साधारण क्रम में प्रतिभूतियों का अर्जन नहीं कर सकतीं;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 470 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर पूर्वोक्त कठिनाइयों को दूर करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इस आदेश का नाम कंपनी (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, 2015 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. कंपनी अधिनियम, 2013 (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है), में -

(क) धारा 2 के खंड (85) के उपखंड (i) में अंत में आने वाले "या" शब्द के स्थान पर "और" शब्द रखा जाएगा; और

(ख) उक्त अधिनियम की धारा 186 की उपधारा (11) के खंड (ख) में मद (iii) के पश्चात् निम्नलिखित मद अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"(iv) किसी बैंककारी कंपनी या किसी बीमा कंपनी या आवास वित्त कंपनी द्वारा कारोबार के साधारण क्रम में प्रतिभूतियों का अर्जन करके किए गए"।

[फा.सं.1/13/2013-सीएल-V(भाग)]

अमरदीप  
13/02/15  
(अमरदीप सिंह भाटिया)  
संयुक्त सचिव

[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii)]

**GOVERNMENT OF INDIA**

**MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS**

ORDER

New Delhi, the 13<sup>th</sup> February, 2015

S.O. \_\_\_\_ (E).- Whereas, the Companies Act, 2013 (18 of 2013) (hereinafter referred to as the said Act) received the assent of the President on the 29<sup>th</sup> August, 2013;

And whereas, clause (85) of section 2 of the said Act provides for definition of the term "small company";

And whereas, clause (b) of sub-section (11) of section 186 of the said Act provides that the requirements of provisions of section 186 [except sub-section (1) of the said section] shall not apply to any acquisition made by a non-banking financial company registered under Chapter IIIB of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) and any other company whose principal business is acquisition of securities;

And whereas, such provisions of clause (85) of section 2 and section 186 of the said Act had come into force on the 1<sup>st</sup> day of April, 2014;

And whereas, the following difficulties have arisen in giving effect to the above provisions of the said Act: -

(a) According to clause (85) of section 2, a company may be treated as a 'small company' if it meets either of the conditions provided therein thereby making the second limit unrestricted or inconsequential. Difficulties have arisen in this regard as companies which, though, meet one of the criteria but exceed the monetary limit in respect of second criteria excessively are also getting classified as 'small companies'; and



(b) in clause (b) of sub-section (11) of section 186, in the absence of provisions for exemption to a banking company or an insurance company or a housing finance company making acquisition of securities in its ordinary course of business, a difficulty has arisen that such companies cannot make any acquisition of securities in their ordinary course of business;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 470 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following Order to remove the aforesaid difficulties, namely:-

(1) Short title and commencement.- (1) This Order may be called the Companies (Removal of Difficulties) Order, 2015.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.


2. In the Companies Act, 2013 (hereinafter referred to as the said Act), -

(a) in section 2, in clause (85), in sub-clause (i), for the word "or" occurring at the end, the word "and" shall be substituted; and

(b) in section 186 of the said Act, in sub-section (11), in clause (b), after item (iii), the following item shall be inserted, namely :-

"(iv) made by a banking company or an insurance company or a housing finance company, making acquisition of securities in the ordinary course of its business."

[F. No. 1/13/2013-CL.V-Part]

  
13/02/15

AMARDEEP SINGH BHATIA, JOINT SECRETARY